तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/5/22	पत्रावली पेश हुई। अभि० अध्ययन उपरान्त तहसीलदार वनपवास से कुर्रे रिपोर्ट प्राप्त पत्रावली वास्ते अवलोकनार्थ एवं अभिभावक कुर्रे रिपोर्ट दिनांक 19/5/22 को पेश हो।	
19/5/22	पत्रावली पेश हुई। अभिभावक अध्ययन उपरान्त कुर्रे रिपोर्ट पर दोनों पक्षों के अभिभाषक द्वारा स्वीकार किया है। वादी का वाद पत्र मुताबिक कुर्रे रिपोर्ट डिक्री किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर संलग्न पत्रावली की गई। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर उच्चैन (भरतपुर)	प्रतिवादीगण ह० वादीगण ह०

न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी:– श्री राजीव शर्मा (आर.ए.एस)

वाद कमांक:– 09 / 2021

1. सुवरन
2. तेजसिंह पुत्रान नारायन
3. कृष्ण उर्फ कलैक्टर
4. राधेलाल पुत्रान प्रयाग
5. [illegible]न्द्र कौर बेवा श्रीभान सिंह
6. अज[illegible] सिंह
7. विजयभान सिंह
8. ओमप्रकाश पुत्रान श्रीभान सिंह
9. [illegible]रूपी पत्नी राधेलाल समस्त जतियान गूजर निवासी जिन्दपुरा तहसील रूपवास जिला भरतपुर

...... वादीगण

बनाम

1. दानकौर पत्नी स्व0 मनोहर
2. केदार सिंह (मृतक)

2/1. अमीरकौर बेवा केदार

2/2. निरंजन

2/3. राजेन्द्र

2/4. वीरेन्द्र पुत्रान केदार

2/5. गुन्नी पुत्री केदार

3. बच्चूसिंह
4. नेमीचन्द
5. देवीसिंह
6. राजवीर समस्त जातियान गूजर निवासी जिन्दपुरा तहसील रूपवास

.... प्रतिवादीगण

दावा धारा 53,88,188 आर.टी.ए.

उपस्थिति:–

1. श्री जयप्रकाश शर्मा एडवोकेट ....अभि0 वादीगण
2. श्री लखनलाल सक्सैना एडवोकेट ....अभि0 प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

Scanned with Oken Scanner

निर्णय

दिनांक:—

वादीगण द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53,88,188 के अन्तर्गत वादपत्र पेश
कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा न. 330/2 रकवा 1.09 बीघा, 336 रकवा 1.04 बीघा, 362 रकवा
1.05 बीघा, 364 रकवा 1.05 बीघा, 383 रकवा 3.04 बीघा, 391/2 रकवा 1 बीघा, 393 रकवा 2.04 बीघा,
394/2 रकवा 0.10 बीघा, 398 रकवा 0.08 बीघा, 399 रकवा 2.08 बीघा, 405 रकवा 3.01 बीघा, 417
रकवा 1.07 बीघा, 494 रकवा 1.15 बीघा, 780/271 रकवा 1.06 बीघा, 782/272 रकवा 3.09 बीघा,
787/284 रकवा 3.15 बीघा, 792/286 रकवा 4 बीघा, 795/287 रकवा 4 बीघा, 824/338 रकवा 1.11
बीघा, 919/281 रकवा 1.17 बीघा, 921/282 रकवा 0.18 बीघा, 308 रकवा 2.01 बीघा, 315 रकवा 4.19
बीघा, 409 रकवा 4.18 बीघा, 413 रकवा 2.16 बीघा, 422 रकवा 3.03 बीघा, 423 रकवा 0.19 बीघा, 424
रकवा [illegible].03 बीघा, 434 रकवा 2.10 बीघा, 477 रकवा 0.03 बीघा, 800/289 रकवा 5.05 बीघा, 808/291
रकवा [illegible].13 बीघा, 925/288 रकवा 7.05 बीघा, 928/292 रकवा 2.13 बीघा, 953/456 रकवा 1 बीघा, 22
रकवा 3 बीघा, 311 रकवा 1.08 बीघा, 330/1 रकवा 1.09 बीघा, 331/2 रकवा 6.12 बीघा, 337 रकवा 2.
बीघा, 384 रकवा 3.17 बीघा, 385 रकवा 2.05 बीघा, 419 रकवा 1.11 बीघा, 825/338 रकवा 1.10
बीघा, 926/292 रकवा 2.07 बीघा, 403 रकवा 1.11 बीघा, 407 रकवा 5.06 बीघा, 408 रकवा 2 बीघा, 418
रकवा 3.02 बीघा, 420 रकवा 1.00 बीघा, 435 रकवा 3.12 बीघा, 457 रकवा 0.10 बीघा, 471 रकवा 4.17
बीघा, 473 रकवा 1.16 बीघा, 386 रकवा 2.15 बीघा, 390 रकवा 2.12 बीघा, 391/1 रकवा 0.19 बीघा,
392 रकवा 2.02 बीघा, 394/1 रकवा 0.11 बीघा, 396 रकवा 5.01 बीघा, 401 रकवा 2.01 बीघा, 402
रकवा 1.11 बीघा, 404 रकवा 1.15 बीघा, 406 रकवा 1.13 बीघा, 830/395 रकवा 2.16 बीघा, 410 रकवा
9.02 बीघा, 309 रकवा 5.14 बीघा, 312 रकवा 3.12 बीघा, 332 रकवा 2.08 बीघा, 333 रकवा 6.02 बीघा,
369 रकवा 2.03 बीघा, 373 रकवा 1.19 बीघा, 378 रकवा 2.14 बीघा, 379 रकवा 2.08 बीघा, 380 रकवा 1.
14 बीघा, 382 रकवा 1.19 बीघा, 387 रकवा 2.15 बीघा, 438 रकवा 2.19 बीघा, 447 रकवा 2.03 बीघा, 470
रकवा 8.03 बीघा, 503 रकवा 2.15 बीघा, 504 रकवा 1.12 बीघा, 509 रकवा 3.02 बीघा, 511 रकवा 2.17
बीघा, 520 रकवा 0.19 बीघा, 635 रकवा 5.16 बीघा, 831/395 रकवा 2.17 बीघा, 954/456 रकवा 2.03
बीघा, 5 रकवा 3.13 बीघा, 6 रकवा 2.16 बीघा, 7 रकवा 7.07 बीघा, 334 रकवा 0.03 बीघा, 365 रकवा 0.
03 बीघा, 376 रकवा 0.03 बीघा, 400 रकवा 0.02 बीघा, 411 रकवा 0.04 बीघा, 531 रकवा 1.09 बीघा, 532
रकवा 2.07 बीघा, 360 रकवा 1.14 बीघा, 361 रकवा 0.17 बीघा, 490 2.05 बीघा, 491 रकवा 3.05 बीघा,
493 रकवा 2.08 बीघा, 492 रकवा 5.02 बीघा, 280 रकवा 10.08 बीघा, 363 रकवा 0.19 बीघा, 412 रकवा
6.01 बीघा, 414 रकवा 1.11 बीघा, 793/286 रकवा 5 बीघा, 797/287 रकवा 4.05 बीघा, 920/281
रकवा 1.16 बीघा, 922/282 रकवा 0.18 बीघा, 19 रकवा 6.13 बीघा, 21 रकवा 9.13 बीघा वाके ग्राम
जिन्दपुरा पटवार हल्का वरिधा तहसील रूपवास जिला भरतपुर में स्थित है। उक्त आराजी के वादीगण तथा
प्रतिवादीगण सं0 1लगा0 6 हिस्सानुसार रिकार्डेड खातेदार है उक्त आराजी पक्षकारों को अपने पूर्वजों से
विरासत तथा संयुक्त हिन्दू परिवार की सहदायिक आय से अर्जित कर प्राप्त हुई है सभी पक्षकारों का एक
ही संयुक्त परिवार है जो सभी मिलकर संयुक्त रूप से उक्त आराजी पर शामिल काश्त करते चले आ रहे
है लेकिन अव शामिल रूप से उक्त आराजी पर काश्त करना पक्षकारों के लिए सम्भव नहीं है क्योंकि
पक्षकारों का परिवार वडा होने तथा कृषि कार्य को लेकर आये दिन विवाद होता रहाता है इसलिए अधिक
विवाद आगे न वढे इसलिए पक्षकारों ने मिल बैठकर उक्त आराजी का कानूनी विभाजन बादपत्र के माध्यम
से कराने का निर्णय लिया है पक्षकारों के मध्य विवाद को देखते हुए उक्त आराजी के कानूनी विभाजन की

सहायक कलक्टर
नदबई (भरतपुर)

Scanned with Oken Scanner

आवश्यकता हुई है।प्रतिवादीगण से उक्त आराजी का कानूनी बंटवारा कराने के लिए दिनांक 05.01.2021 को कहा तो प्रतिवादीगणरा ने बंटबारा कराने से साफ इंकार करते हुए धमकी दी कि हम उक्त आराजी का कानूनी विभाजन नहीं होने देंगे प्रतिवादीगण की धमकी से परेशान होकर वादीगण को यह वाद पत्र पेश करने की आवश्यकता हुई है।

वादपत्र दर्ज रजि0 कर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई प्रतिवादीगण ने न्यायालय में पेश होकर इकबाल जवाब दावा पेश किया जो शामिल पत्रावली है। साथ ही वादी सुवरन पुत्र नारायन सिंह ने जरिये अधिवक्ता श्री जयप्रकाश शर्मा प्रा0प0 आदेश 22 नियम 4 पेश किया प्रा0प0 स्वीकार किया गया। संशोधित शीर्षक पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया वाद पत्र पर विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनी गयी पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 बाबै ग्राम जिन्दपुरा पटवार हल्का वरिघा का अवलोकन किया गया। यह स्पष्ट होता है कि विवादित आराजी में वादी एवं प्रतिवादी सहखातेदार हैं तथा प्रतिवादीगण ने वादीगण का वाद स्वीकार किया है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण आपसी सहमति से अपनी आराजी का कानूनी विभाजन कराना चाहते है।

वादीगण का वाद पत्र दिनांक 08.03.2022 को उभयपक्ष की सहमति से प्राथिमिक रूप से डिकी किया जाकर तहसीलदार रूपवास से कुरे रिपोर्ट मंगवाई गई। दिनांक 12.04.2022 को तहसीलदार रूपवास से कुरे रिपोर्ट प्राप्त हुई। उभयपक्ष के अभिभाषक द्वारा कुरे रिपोर्ट पर सहमति प्रदान की गई।

अतः वादी का वाद मुताबिक कुरे रिपोर्ट अंतिम रूप से डिकी किया जाता है। कुरे रिपोर्ट डिकी का जुज रहेगी। पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर उच्चैन (भरतपुर)

राजीव शर्मा(आर0ए0एस0)
सहायक कलक्टर
उच्चैन भरतपुर

Scanned with Oken Scanner